

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/6/26

विषय:- विधि विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 1,28,57,221/- (एक करोड़ अठाईस लाख संतावन हजार दो सौ इक्कीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं/विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,28,57,221/- (एक करोड़ अठाईस लाख संतावन हजार दो सौ इक्कीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, पूर्णिया	31159	Construction of A type (G+3), B type (G+3) and C type (G+3) at Sub-Divisional Court, Dhamdaha in District Purnea for the year 2024-25	5857/ 19.09.24	10292833 (एक करोड़ दो लाख बानवे हजार आठ सौ तैंतीस रुपये)
02.	भवन प्रमंडल, नवादा	31567	Construction of Guard room with toilet and boring at District and Session Judge residence, Nawada for the year 2025-26	596/ 16.04.25	1585987 (पन्द्रह लाख पचासी हजार नौ सौ सतासी रुपये)
03.	विद्युत भवन प्रमंडल, मुंगेर	30919	Provision of Campus Light, Gate Light at the residence of District Judge, Sheikhpura, District Sheikhpura	84/ 06.01.26	113408 (एक लाख तेरह हजार चार सौ आठ रुपये)
04.	भवन प्रमंडल, गया	31004	Construction of Guard room in P.O. campus Sherghati at Gaya for the year 2024-25	6132/ 30.09.24	864993 (आठ लाख चौंसठ हजार नौ सौ तिरानवे रुपये)
कुल राशि					12857221

(एक करोड़ अठाईस लाख संतावन हजार दो सौ इक्कीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन, लघुशीर्ष-700-अन्य आवास, उपशीर्ष-0105-न्यायाधीशों का आवास (विधि विभाग), विपत्र कोड-03-4216017000105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0105.53.01- मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।